



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
सत्यमेव जयते  
आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

कार्यालय : आयकर आयुक्त, जम्मू व कश्मीर,  
आयकर भवन, रेल हैड कॉम्प्लैक्स, पनामा चौक, जम्मू 180012  
Office of the Commissioner of Income-Tax (J&K), Aayakar Bhawan,  
Rail Head Complex, Panama Chowk, Jammu-180012

F. No. CIT./Jmu/ITO(T)/12AA/2014-15/2433 दिनांक Dated : 31-07-2014

सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम (Name of Society/Trust)	कलचरल एजुकेशनल एण्ड इनवोयरमेंटल ऑरगनाइजेशन Cultural Educational & Envoirnmental Organisation.
पता (Address)	मेहदी कॉलोनी, यूसफाबाद, बडगाम, कश्मीर Mehdi Colony, Yousafabad, Badgam, Kashmir
स्तर (Status)	सोसाइटी Society
पेन (PAN)	AABTC4499A
आवेश दिनांक (Date of order)	31.07.2014

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के साथ पढ़े जाने वाली धारा 12ए के अन्तर्गत आदेश

Sub:- Order under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act,1961

- दिनांक 29.01.2014 को फार्म 10 ए में धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन किया गया।  
An application in Form No.10A seeking Registration U/s 12A was filed on 29.01.2014.
- ट्रस्ट/सोसाइटी/अलाभप्रद कंपनी का गठन ट्रस्ट की डीड, संगठन के ज्ञापन/लिखित दस्तावेज द्वारा दिनांक 04.07.2008 को किया गया, जिसमें इसके उद्देश्य को दर्शाया गया है।

The Trust/Society/Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association/instrument dated 04.07.2008 indicating its object.

- रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी को जनरल पब्लिक यूटिलिटी/ट्रस्ट /सोसाइटी/कंपनी के तौर पर पंजीकरण दिया जाता है और इस पर धारा 11 व 12 के अनुबंध निर्धारण वर्ष 2014-15 के मामले में लागू होंगे। ट्रस्ट/सोसाइटी/एन पी को इस कार्यालय में अनुरक्षित रजिस्टर में क्र. सं. 80 पर पंजीकृत किया गया है।

After considering the material available on record, the applicant trust/society/company is granted registration as General Public Utility /Trust/ Society/company and the provisions of section 11 and 12 shall apply in the case from A.Y. 2014-15 The Trust /Society/NP is registered at S.No. 80 of the register maintained in this office.



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते  
आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

कार्यालय : आयकर आयुक्त, जम्मू व कश्मीर,  
आयकर भवन, रेल हैड कॉम्प्लैक्स, पनामा चौक, जम्मू 180012  
Office of the Commissioner of Income-Tax (J&K), Aayakar Bhawan,  
Rail Head Complex, Panama Chowk, Jammu-180012

F. No. CIT./Jmu/ITO(T)/12AA/2014-15/2433 दिनांक Dated : 31-07-2014

सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम (Name of Society/Trust)	कलचरल एजुकेशनल एण्ड इनवोयरमेंटल ऑरगनाइजेशन Cultural Educational & Envoirmmental Organisation.
पता (Address)	मेहदी कॉलोनी, यूसफाबाद, बड़गाम, कश्मीर Mehdi Colony, Yousafabad, Badgam, Kashmir
स्तर (Status)	सोसाइटी Society
पेन (PAN)	AABTC4499A
आवेश दिनांक (Date of order)	31.07..2014

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के साथ पढ़े जाने वाली धारा 12ए के अन्तर्गत आदेश

Sub:- Order under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act,1961

- दिनांक 29.01.2014 को फार्म 10 ए में धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन किया गया।  
An application in Form No.10A seeking Registration U/s 12A was filed on 29.01.2014.
- ट्रस्ट/सोसाइटी/अलाभप्रद कंपनी का गठन ट्रस्ट की डीड, संगठन के झापन/लिखित दस्तावेज द्वारा दिनांक 04.07.2008 को किया गया, जिसमें इसके उद्देश्य को दर्शाया गया है।  
The Trust/Society/Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association/instrument dated 04.07.2008 indicating its object.
- रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी को जनरल पब्लिक यूटिलिटी/ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के तौर पर पंजीकरण दिया जाता है और इस पर धारा 11 व 12 के अनुबंध निर्धारण वर्ष 2014-15 के मामले में लागू होंगे। ट्रस्ट/सोसाइटी/एन पी को इस कार्यालय में अनुरक्षित रजिस्टर में क्र. सं. 80 पर पंजीकृत किया गया है।

After considering the material available on record, the applicant trust/society/company is granted registration as General Public Utility /Trust/Society/company and the provisions of section 11 and 12 shall apply in the case from A.Y. 2014-15 The Trust /Society/NP is registered at S.No. 80 of the register maintained in this office.



पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है।

The registration is granted subject to the following conditions.

शर्तः-

CONDITIONS:

- I. यह आदेश जो धारा 12ए(1)(ए) के अन्तर्गत धारा 12एए (1)(बी) के साथ पढ़ा जाए आवेदक को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12,13 के अधीन किसी प्रकार की छूट का अधिकार नहीं देता। कर से इस प्रकार की छूट तभी दी जाएगी जब निर्धारण अधिकारी प्रत्येक तित्तीय वर्ष, जो संबद्ध निर्धारण वर्ष होगा के दौरान दावे या वचन के अनुसार किए गए क्रियाकलाप की वास्तविकता से संतुष्ट नहीं होते। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के अनुबंधों पर भी निर्भर करेगा।

Order U/s 12A(1)(a) read with section 12AA (1)(b) does not confirm any right of exemption upon the applicant under section 11,12 and 13 of the I.T.Act,1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial year relevant to the assessment year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the I.t.Act,1961.

- II. ट्रस्ट/सोसाइटी/ गैर लाभकर कंपनी नियमित रूप से एकाउंट का लेखा जोखा रखेगी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(1)(बी) के अनुबंधों के अनुसार इसका ऑडिट करवाएगी। जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट है, प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए अलग लेखा जोखा रखना होगा। इस प्रकार से अनुरक्षित लेखा जोखा की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को दी जाए। संगठन के रजिस्टर किए गए/डेजिगनेटिड कार्यालय में एक सार्वजनिक सूचना लगाई जाए जिसमें किए गए क्रियाकलापों एवं उनसे जिन संगठनों को लाभ मिला उसकी सूचना दी जाए।

The Trust/Society/Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the I.T.Act,1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in memorandum shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/Designated Office of the Organization.

- III. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(4ए) की अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप व्यापार जो कि उद्देश्य की प्राप्ति पर निर्भर करता है, के लाभ व हानि के संबंध में अलग अलग लेखा जोखा रखा जाए।

Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in the compliance to section 11(4A) of the I.T.Act,1961.



- IV. ट्रस्ट/संस्थान द्वारा अधिनियम में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रतिवर्ष आय संबंधी विवरणी भरी जाएगी।  
The Trust/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.
- V. ट्रस्ट/संस्थान विभाग के साथ पत्राचार में अपना पैन अवश्य लिखें।  
The Trust/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department
- VI. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन मात्र से दानकर्ता को धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट लेने का अधिकार नहीं मिलता है।  
The registration U/s 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deductions U/s 80G.
- VII. यह प्रमाण-पत्र ट्रस्ट/संस्थान से संबंधित निवेश के स्रोत पर कर कटौती न करने का दावा भी करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।  
This certificate cannot be used as a basis for claiming non deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/Institution.
- VIII. इस प्रकार से प्राप्त सार्वजनिक अंशदान अथवा समग्र सम्पत्ति बैंक खाता के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और बैंक खाता सं. इस कार्यालय को बताना होगा।  
All the public money so received including for corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and as such Bank Account Number shall be communicated to this office.
- IX. ट्रस्ट की डीड की शर्तों में कानून की प्रक्रिया अर्थात् अधिकारिता उच्च न्यायालय के आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जानी होगी। पंजीकरण प्राधिकारी को यह विचार करने का अधिकार है कि क्या किया गया उद्देश्यों में परिवर्तन, अधिनियम में दी गई 'खैराती प्रयोजन' की परिभाषा के अनुकूल हैं और पंजीकरण जारी रखने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।  
No change in the terms of Deed of the trust shall be effected without due procedure of law i.e. by order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "Charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.
- X. अघोहस्ताक्षरी की जानकारी के बिना कोई भी संपत्ति किसी को स्थानान्तरित नहीं की जाएगी, जिसमें ट्रस्ट/सोसाइटी गैर लाभकर कंपनी आदि भी शामिल हैं।  
No asset shall be transferred without the knowledge of the undersigned to anyone, including to any Trust/Society/Non profit Company etc.
- XI. आवेदक का पंजीकृत कार्यालय अथवा क्रियाकलाप का प्रमुख स्थान आयकर आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, जम्मू के पूर्व अनुमोदन के बिना जम्मू व कश्मीर से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।  
The registered office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the J&K, except with the prior approval of the Commissioner of Income Tax, J&K., Jammu



XII. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि पंजीकरण किसी तथ्य को छुपाकर अथवा तथ्यों की गलत बयानी द्वारा कपट से प्राप्त किया गया है तो इस प्रकार से प्राप्त पंजीकरण आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों की उपधारा 12एए(3) के अन्तर्गत रद्द किया जा सकता है।

If later on it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the Registration so granted is liable to be cancelled as per provisions S/s 12AA(3) of the I.T.Act, 1961.

XIII. यदि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि ट्रस्ट/संस्थान द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप प्रमाणिक नहीं हैं और इन्हें ट्रस्ट/संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप चलाया नहीं जा रहा तो पंजीकरण किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the Registering Authority is satisfied that activities of the Trust/Institution are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Institution.

32

(अरुण कुमार थतई)  
(A.K.Thatai)

आयकर आयुक्त  
Commissioner Income Tax  
जम्मू व कश्मीर, जम्मू  
Jammu & Kashmir, Jammu

प्रतिलिपियां

Copy to:

1. कलचरल एजुकेशनल एण्ड इनवोयरमेंटल ऑरगनाइजेशन  
Cultural Educational & Envoirnmental Organisation  
मेंहदी कॉलोनी, यूसफाबाद, बड़गाम, कश्मीर  
Mehdi Colony, Yousafabad, Badgam, Kashmir
2. संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-3 श्रीनगर  
Joint Commissioner Income Tax Range - 3, Srinagar
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-3(1) श्रीनगर  
Income Tax Officer, Ward-3(1), Srinagar

B.K. Raina

(बी.के. रैना)  
(B.K. Raina)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
Income Tax Officer(Tech.)  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
O/O Commissioner Income Tax  
जम्मू व कश्मीर, जम्मू